आज़ादी का अमृत महोत्सव

साप्ताहिक सूचना पत्र

(दिनांक 28.02.2022 से 05.03.2022)

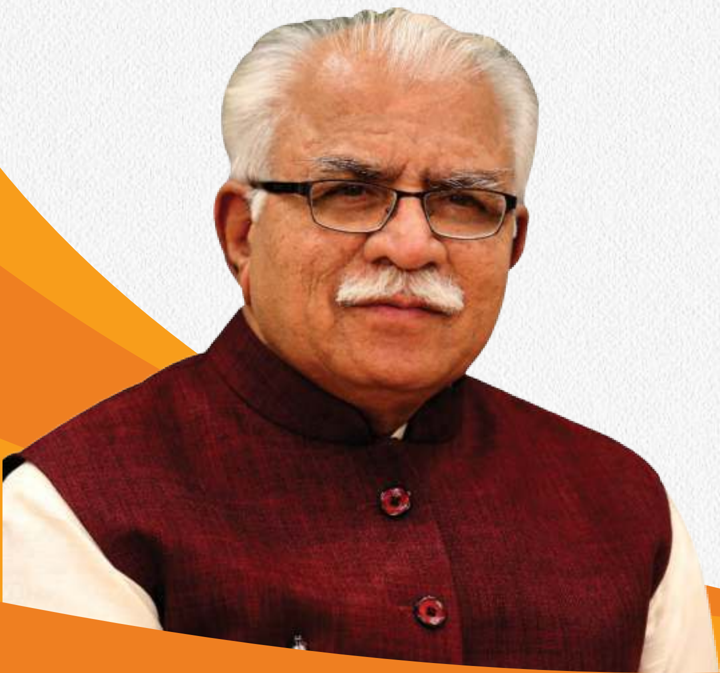

भारतीय जनता पार्टी
हरियाणा

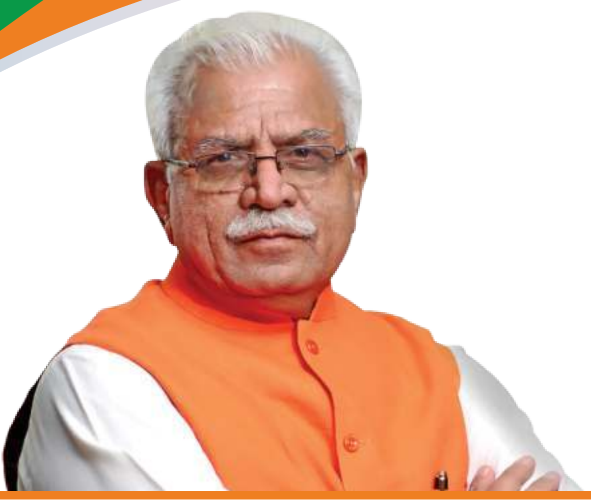

साप्ताहिक सूचना पत्र

करनाल दौरा

(दिनांक 01.03.22)

विषय: करनाल दौरा।

प्रभाव: माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज अपने विधानसभा क्षेत्र करनाल का दौरा किया इस अवसर पर उन्होंने लोगों से मिलकर उनकी समस्याओं को सुना और उनका निराकरण किया।

इस अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने करनाल में कई विकास कार्यो के उद्घाटन भी किए जिसमें सफ़ाई कर्मचारियों को घर घर से कूड़ा इक्कठा करने के लिए वाहन देना भी शामिल है। इसके साथ ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने शिवरात्रि के पावन अवसर होने पर करनाल की जनता को शिवरात्रि की शुभकामनाएं दी साथ ही करनाल के प्राचीन शिव मंदिर में जाकर दर्शन किये और प्रदेशवासियों के लिए मंगलकामना की।

हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत

(दिनांक 02.03.22)

विषय: हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत।

प्रभाव: आज साल 2022 के लिए हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र आरंभ हो गया। यह बजट सत्र 22 मार्च तक चलेगा। पहले दिन की कार्यवाही के तहत महामहिम राज्यपाल जी का अभिभाषण हुआ। महामहीम राज्यपाल महोदय ने हरियाणा सरकार

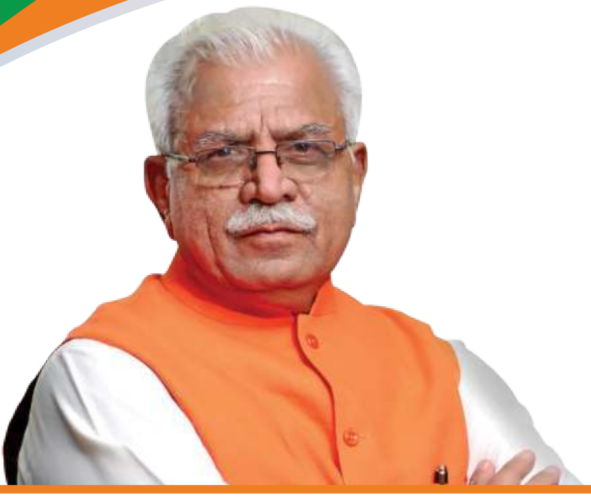

साप्ताहिक सूचना पत्र

की विभिन्न जनकल्याणकारी नीतियों और योजनाओं का अपने भाषण में उल्लेख किया जिसमें परिवार पहचान पत्र, किसानों को सर्वाधिक गन्ने का रेट और सीधे उनके खातों में फ़सल के दाम का हस्तांतरण, खेल नीति, पर्यटन, स्वास्थ, शिक्षा और डायल 112 के जरिये मजबूत हुई सुरक्षा व्यवस्था का भी उल्लेख किया।

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के पश्चात शोक प्रस्ताव पढ़े गए और सदस्यों ने सदन में दो मिनट का मौन रखा तथा दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना की। सर्व प्रथम सदन के नेता व मुख्यमंत्री जी ने शोक प्रस्ताव पढ़े। सदन में भारत रत्न, स्वर कोकिला लता मंगेशकर को भी श्रद्घाजंलि दी गई।

इसके साथ ही विधानसभा अध्यक्ष श्री ज्ञान चन्द गुप्ता जी द्वारा लोकसभा की तर्ज पर हर वर्ष दिए जाने वाले सर्वश्रेष्ठ सांसद पुरस्कार की तरह हरियाणा विधानसभा में आरम्भ की गई सर्वश्रेष्ठ विधायक पुरस्कार देने की परम्परा के अनुसार आज विधानसभा में आरम्भ हुए बजट सत्र के पहले दिन गन्नौर से विधायक निर्मल रानी व एनआईटी फरीदाबाद से विधायक पंडित नीरज शर्मा को वर्ष 2021 के सर्वश्रेश्ठ विधायक पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

सिंगापुर के राजदूत से मुलाक़ात

(दिनांक 02.03.22)

विषय: सिंगापुर के राजदूत से मुलाक़ात।

प्रभाव: आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने चंडीगढ़ स्थित मुख्यमंत्री कार्यालय में सिंगापुर के उच्चायुक्त श्री साइमन वॉग से भेंट की और हरियाणा में चल रहे विकास कार्यो तथा योजनाओं को लेकर उनसे चर्चा की।

यह मुलाक़ात 'गो ग्लोबल अप्रोच' के तहत हुई। इस मुलाकात में सिंगापुर के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री जी के साथ हरियाणा में सिंगापुर की कंपनियों के लिए राज्य में निवेश के आकर्षक अवसरों के संबंध में व्यापक बातचीत की।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि सिंगापुर की कंपनियां हरियाणा की औद्योगिक नीतियों के अनुकूल होने के कारण प्रदेश के साथ सहयोग करने

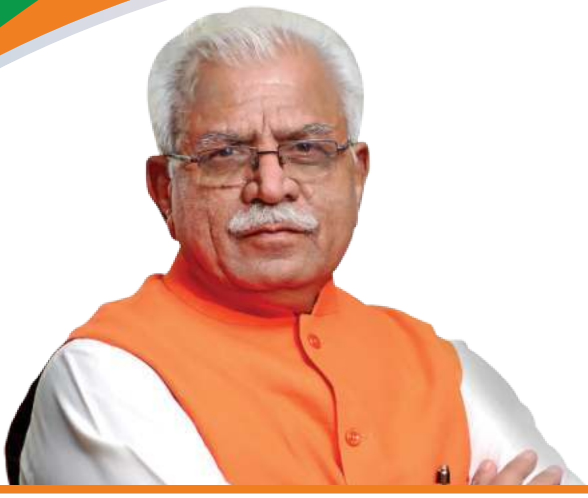

साप्ताहिक सूचना पत्र

की इच्छुक हैं।

सिंगापुर के उच्चायुक्त श्री साइमन वॉग ने हरियाणा में सौर ऊर्जा जैसे आगामी क्षेत्रों में विभिन्न परियोजनाओं और सहयोग पर चर्चा की। श्री वॉग राज्य में चल रहे कौशल प्रशिक्षण संस्थानों से भी प्रभावित हुए। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री जी ने श्री वॉग को हरियाणा में शोध के उद्देष्य से अंतर–अनुशासनात्मक केंद्र की स्थापना करने जैसे विभिन्न सुझाव भी दिए। उच्चायुक्त ने कहा कि भारत के पास समृद्ध युवा शक्ति है और सिंगापुर की कंपनियां इसका लाभ उठा सकती हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि हरियाणा के कौशल प्रशिक्षण संस्थान निष्चित रूप से राज्य के युवाओं को तैयार करेंगे और उन्हें उद्योगों में काम करने के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। बैठक में श्री वॉग ने हरियाणा और सिंगापुर से जुड़े अलग–अलग विषयों पर अपनी प्रतिक्रिया दी और मुख्यमंत्री जी की कार्यशैली की भी सराहना की।

इस दौरान मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हमारी सरकार ने प्रदेश के प्रत्येक नागरिक को कोरोना महामारी के दौरान उपयुक्त चिकित्सा सुविधा प्रदान करने के लिए कड़ी मेहनत की है। अब कोरोना का ग्राफ गिर रहा है और स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है। अब राज्य सरकार विकास को नई गति देगी।

साथ मुख्यमंत्री जी ने उच्चायुक्त साइमन वॉग को श्रीमद भगवतगीता की प्रति भी स्मृति रूप में भेंट की।

विधानसभा में धर्मांतरण विधेयक पर चर्चा

(दिनांक 04.03.22)

विषय: विधानसभा में धर्मांतरण विधेयक पर चर्चा।

प्रभाव: हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के दौरान हरियाणा सरकार ने अनैतिक धर्मान्तरण को रोकने के लिए आज विधिविरूद्ध धर्म परिवर्तन निवारण विधेयक, 2022 प्रस्तुत किया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस विधेयक पर चर्चा

साप्ताहिक सूचना पत्र

करते हुए कहा कि हरियाणा में किसी भी रूप में जबरन धर्मांतरण को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यदि कोई अपनी इच्छा से धर्मपरिवर्तन करना चाहता है तो इच्छापूर्वक धर्म परिवर्तन के लिए वह आवेदन कर सकता है।

उन्होंने कहा कि धर्म–परिवर्तन का आयोजन करने का आशय रखने वाला कोई भी धार्मिक पुरोहित अथवा अन्य व्यक्ति जिला मजिस्ट्रेट को आयोजन स्थल की जानकारी देते हुए पूर्व में नोटिस देगा। इस नोटिस की एक प्रति जिला मजिस्ट्रेट के कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा की जाएगी। यदि किसी व्यक्ति को आपत्ति है तो वह 30 दिनों के भीतर लिखित में अपनी आपत्ति दायर कर सकता है। जिला मजिस्ट्रेट जांच करके यह तय करेगा कि धर्म–परिवर्तन का आशय धारा–3 की उल्लंघना है या नहीं है। यदि वह इसमें कोई उल्लंघना पाता है तो आदेश पारित करते हुए धर्म–परिवर्तन को अस्वीकार कर देगा। जिला मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध 30 दिनों के भीतर मंडल आयुक्त के समक्ष अपील की जा सकती है।

यदि किसी प्रलोभन, बल प्रयोग, षडयंत्र अथवा प्रपीड़न से धर्म–परिवर्तन करवाया जाता है, तो 1 वर्ष से 5 वर्ष तक के कारावास और कम से कम 1 लाख रुपये जुर्माने के दण्ड का प्रावधान है। यदि विवाह के आशय से धर्म छिपाया जाएगा, तो 3 से 10 साल तक के कारावास और कम से कम 3 लाख रुपये के जुर्माने का दण्ड दिया जाएगा। सामुहिक धर्म परिवर्तन के संबंध में इस विधेयक की धारा–3 के उपबंधों की उल्लंघना करने पर 5 से 10 साल तक के कारावास और कम से कम 4 लाख रुपये के जुर्माने का दण्ड दिया जाएगा। यदि कोई संस्था अथवा संगठन इस अधिनियम के उपबंधों की उल्लंघना करता है, तो उसे भी इस अधिनियम की धारा–12 के अधीन दंडित किया जाएगा और उस संस्था अथवा संगठन का पंजीकरण भी रद्द कर दिया जाएगा। इस अधिनियम की उल्लंघना करने का अपराध संज्ञेय और गैर–जमानती होगा।

उन्होंने कहा कि बिल की धारा 3 में स्पष्ट है कि कोई भी व्यक्ति मिथ्या निरूपण द्वारा बल प्रयोग, धमकी, अनुचित प्रभाव, प्रलोभन या डिजिटल ढंग के उपयोग सहित किन्ही कपटपूर्ण साधनों द्वारा, या विवाह द्वारा या विवाह के लिए, या तो प्रत्यक्षतः या अन्यथा से किसी अन्य व्यक्ति का एक धर्म से अन्य धर्म में परिवर्तन नही करवायेगा या परिवर्तन करवाने का प्रयास नहीं करेगा। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि ऐसे कई मामले संज्ञान में आये हैं कि प्रदेश में लोगों को प्रलोभन देकर उनका धर्म–परिवर्तन करवाया गया। इनमें से कुछ का तो जबरन धर्म–परिवर्तन किया गया । इसके अलावा, ऐसे भी मामले आये हैं कि अपने धर्म की गलत व्याख्या करके दूसरे धर्म की लड़कियों से शादी की गई और शादी के बाद ऐसी लड़कियों को धर्म–परिवर्तन के लिए मजबूर किया गया।

इस तरह की घटनाएं न केवल हमारी धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन करती हैं, बल्कि समाज के सामाजिक–धार्मिक ताने–बाने को भी ठेस पहुंचाती हैं। इन घटनाओं को रोकने के लिए हमने 'हरियाणा विधि विरुद्ध धर्म–परिवर्तन निवारक विधेयक–2022' बनाया है। मुख्यमंत्री ने प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस के सदस्यों द्वारा विशेषकर पूर्व विधानसभा स्पीकर डा0 रघुबीर सिंह कादियान द्वारा इस बिल की प्रति सदन में फाड़े जाने को दुभाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि यह सदन में प्रस्तुत किए गये लीगल डाक्युमेंट का अपमान है और सदन की मर्यादा का हनन है। उन्होंने स्पष्ट किया कि ऐसा करने वाले सदस्यों का मामला विधानसभा की विशेषाधिकार समिति को भेजा जाएगा।

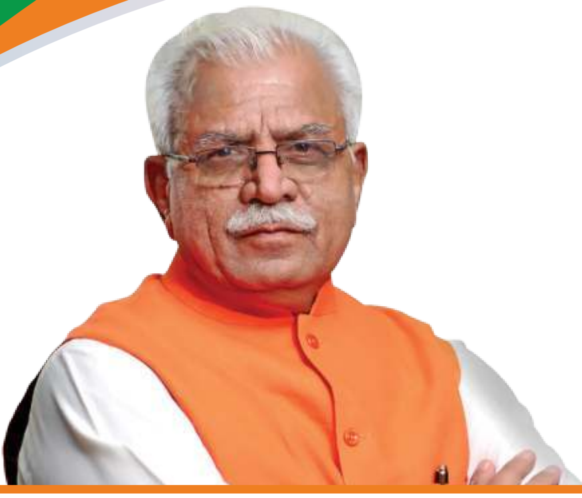

साप्ताहिक सूचना पत्र

अंत्योदय मेलों का निरीक्षण

(दिनांक 05.03.22)

विषय: अंत्योदय मेलों का निरीक्षण।

प्रभाव: आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी महत्वकांक्षी योजना मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत लागए जा रहे मेलों का निरीक्षण किया यह निरीक्षण उन्होंने नारायणगढ़ (अम्बाला), और घरौंदा (करनाल) के मेलों में जाकर किया। इस दौरान माननीय मुख्यमंत्री जी ने मेलों आये हुए लोगों से भी बात की और उन्हें मिल रही सुविधाओं और लाभ के संबंध में भी पूछा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने मेलों में आये लोगो को कहा कि वह इन योजनाओं और मिलने वाले लोन का लाभ अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए करे न कि लोन लेकर अन्य किसी कार्य में लग जाए।

इस अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऐसे परिवार जो लोन लेते है या अपना नया कोई रोजगार या उद्यम शुरू करते है। उन सभी के लिए मुख्यमंत्री शतोद्यमी सारथी योजना शुरू करने की भी घोषणा की जिसके तहत ऐसे प्रत्येक 100 परिवारों पर जिन्होंने अपना नया उद्यम गया रोजगार शुरू किया है एक टीम का गठन किया जाएगा जो उन्हें समय समय पर मार्गदर्शन करेगी और अपनी आमदनी बढ़ाने में सहायता करेगी।

माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि उनका लक्ष्य हरियाणा के हर परिवार की आमदनी को 1 लाख 80 हज़ार रुपये से ऊपर ले जाना है। ताकि हरियाणा में कोई भी BPL और गरीब परिवार न रहे और इसके लिए सरकार से जो कोई भी सहायता की जरूरत होगी वो उसे पूरा करेंगे।

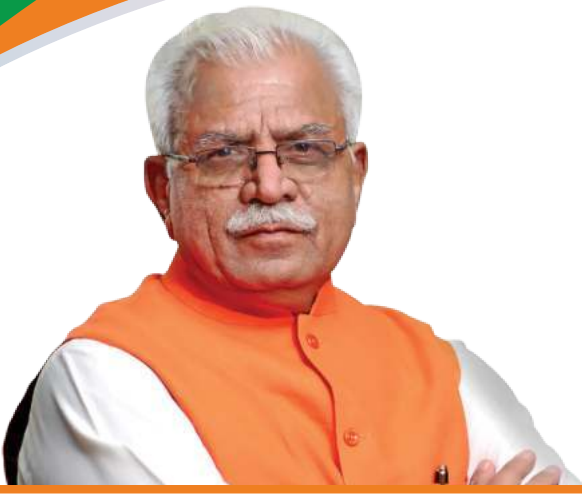

साप्ताहिक सूचना पत्र

झज्जर में गुरुकुल का वार्षिकोत्सव और संग्रहालय का भूमिपूजन

(दिनांक 06.03.22)

विषय: झज्जर में गुरुकुल का वार्षिकोत्सव और संग्रहालय का भूमिपूजन।

प्रभाव: आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने झज्जर के सरस्वती गुरुकुल में मुख्यातिथि के रूप में पहुँचकर वहां के वार्षिकोत्सव में शिरकत की और झज्जर में बनने जा रहे संग्रहालय का भूमिपूजन किया।

इस अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आज गुरुकुल व आधुनिक शिक्षा पद्धति का समन्वय स्थापित करने की जरूरत है। गुरुकुल शिक्षा का अपने आप में गौरवमयी इतिहास रहा है। मुख्यमंत्री जी ने गुरुकुल महाविद्यालय के पुनरुद्धारक स्वामी ओमानन्द सरस्वती को नमन करते हुए कहा कि हरियाणा सरकार अपने गौरवशाली इतिहास को आगे बढ़ाते हुए महान विभूतियों के दिखाए मार्ग को अपनाकर जनकल्याण में अपना दायित्व निभा रही है।

इसके साथ ही मुख्यमंत्री जी ने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तारीकरण में सरकार की ओर से आयुर्वेदिक पद्धति के साथ ही एलोपैथिक पद्धति में भी समन्वय बनाने का प्रयास किया जा रहा है। जिसके लिए प्रदेश में वेलनेस सेंटर्स का निर्माण किया जा रहा है। इसके अलावा मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश भर में स्थित गुरूकुलों में बिजली के खर्च की समस्या के समाधान के लिए सोलर प्लांट योजना लागू करने की घोशणा की। उन्होंने गुरुकुल को सरकार की ओर से विद्यार्थियों के सहयोग में मिलने वाली सालाना आर्थिक सहायता को दोगुना करते हुए कहा कि गुरुकुल की सहायता के लिए अब 100 विद्यार्थियों तक के गुरुकुल को 1.5 लाख के स्थान पर 3 लाख रुपए, 200 विद्यार्थियों तक के गुरुकुल को 2.5 लाख के स्थान पर अब 5 लाख रुपए और 300 विद्यार्थियों तक के

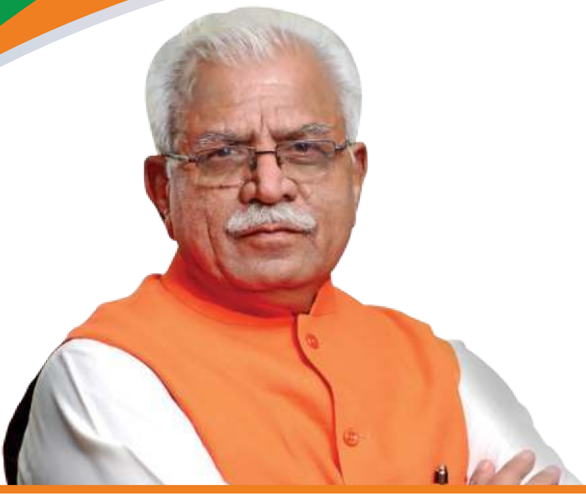

साप्ताहिक सूचना पत्र

गुरुकुल को 3.5 लाख रुपए के स्थान पर अब 7 लाख रुपए की सालाना सहायता दी जाएगी। साथ ही साथ मुख्यमंत्री जी ने जहांआरा बाग स्टेडियम का नाम बदलकर महर्षि दयानंद सरस्वती स्टेडियम करने, झज्जर–रेवाड़ी रोड से गुरुकुल महाविद्यालय तक जाने वाली सडक़ को 18 फुट चौड़ा करने, झज्जर गुरुकुल में कबड्डी और कुश्ती की खेल नर्सरी खोलने की घोषणा की और गुरुकुल के भवन की मरम्मत और नए कमरों के निर्माण आदि के लिए स्वैच्छिक कोश से 51 लाख रुपए का आर्थिक सहयोग देने की घोषणा भी की। इस अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने गुरुकुल महाविद्यालय परिसर में जिला की युद्ध वीरांगनाओं को नारी सम्मान पत्र देकर सम्मानित किया।